SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत का संघीय प्रणाली और सहयोगात्मक संघवाद

समीर कुमार, पी–एचडी, राजनीति विज्ञान विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

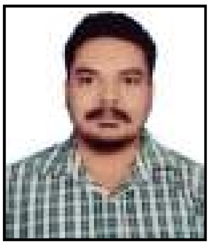

Author
समीर कुमार, पी–एचडी
E-mail : sameerpatel033@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/10/2025
Revised on : 18/12/2025
Accepted on : 27/12/2025
Overall Similarity : 00% on 19/12/2025

शोध सार

जब हम संघीय प्रणाली की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आस्ट्रेलिया का संघीय प्रणाली सामने आ जाता है। यह ठीक है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में विश्व के देशों की संघीय प्रणालियां थी लेकिन जब हमारा संघवाद बना तो वह अलग था अर्थात् संघवाद का कोई एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत नहीं है जिसका सभी पालन करें, प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता और विशेषता के आधार पर संविधान बनाते हैं। हमारे संविधान सभा ने भी बहुत विचार–विमर्श के बाद अपने लिए एक संघीय प्रणाली को स्वीकार किया है। भारत में अर्ध संघीय प्रणाली हमनें अपनायें हैं अर्थात् इसमें केन्द्र को शक्तिशाली बनाया गया है इसलिए यूनियन आफ स्टेट का नाम दिया गया है (अनुच्छेद 1) राज्य पूर्ण स्वायत नहीं है शक्तियाँ के बटवारे कर दिये गये हैं लेकिन उनकी शक्तियों, क्षेत्रों में कटौती होती रहती है अनुच्छेद (3) लेकिन विशेष स्थिति को छोड़कर समान्य रुप में स्वायत्त राज्य के रुप में काम करते हैं। भारत के राज्य कमजोर है तथा केन्द्र के ऊपर कुछ राज्य ज्यादा ही निर्भर है, कुछेक क्षेत्र केन्द्र शासित है। राज्य पूर्ण स्वायत है या नहीं क्या वे स्वतंत्र राजनीतिक संप्रभुता है इसका फैसला 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल स्टेट बनाम केन्द्र सरकार के फैसले में दिया मामला था कि क्या केन्द्र सरकार राज्य की सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, फैसला था कि हां केन्द्र सरकार अधिग्रहण कर सकती है लेकिन एक न्यायाधीश के सुब्बा राव अलग मत रखते थे। सुब्बा राव ने संप्रभुता को ही दो भागों में बांटा कहा कि राजनीतिक संप्रभुता जनता के पास है लेकिन लीगल संप्रभुता केन्द्र और राज्य के बीच बंटा है इसलिए दो संप्रभु हैं और दोनों स्वायत हैं लेकिन बहुमत फैसले का अर्थ निकलता है कि संप्रभुता बंटा नहीं है केन्द्र ताकतवर है।

मुख्य शब्द

संविधान, संघवाद, संप्रभुता, न्यायालय, सरकार, संसद, विदेश नीति.

परिचय

संविधान विशेषज्ञ और भारत के संविधान के ऊपर विश्वासी पुस्तक लिखने वाले के सी वियरे का मानना है कि भारत का संविधान पूरे तरह विश्वसनीय रूप में संघात्मक है लेकिन संविधान ने केन्द्र सरकार तथा संसद को राज्य के कार्यप्रणाली में दखल का अधिकार दिया है। पहला अवसर 1951 का था जब जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में गोपीचंद भार्गव की पंजाब सरकार जो पूर्ण बहुमत में थी उससे इस्तीफा देकर गवर्नर से मनोनुकूल रिपोर्ट लेकर गवर्नर शासन लगाया था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि केन्द्रीय शासक अपनी इच्छानुसार राज्यों में शासन चाहते हैं और ऐसा गलत या सही भारत में 120 बार से अधिक हो चुका है इसलिए अनुच्छेद 356 तथा गवर्नर के पद की सबसे ज्यादा आलोचना हुई है और यह मामला अनेकों बार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है और सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने तथा गवर्नर के शासन काल का विरोध न्यायालय पहुंचा था और पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नर बूटा सिंह के कार्यवाही को गलत कहा था। अनुच्छेद 356 की शक्तियों के दुरुपयोग की ज्यादा शिकायत होने लगी और बहुत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलग–अलग रुख अपनाना शुरू किया और एक तरह से कमिटेड न्यायालय के रूप में काम करना बंद कर दिया तो आपातकाल में 1975 में इंदिरा गांधी ने एक कानून के माध्यम से अनुच्छेद 356 के आधार पर की गई कार्यवाही को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया लेकिन इसे बाद की सरकार ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पुनर्जीवित कर दिया।

इसी संदर्भ में एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन आफ इंडिया के केस में गवर्नर की शक्तियों की भी व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वे हर हाल में मंत्रीमंडल के सुझाव पर कार्य करने को बाध्य हैं अर्थात् अपनी ओर से गवर्नर शासन की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी मामलों में अलग–अलग देखने को मिलता है जैसे उन्हें एक ओर मंत्रिमंडल के फैसले को मानने को बाध्य बताया है वहीं दूसरी ओर वे मानते हैं कि गवर्नर राज्य में नैतिकता का अगुवा और नेता है इसलिए वह महाराष्ट्र के निर्वाचित बहुमत प्राप्त महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री ए.आर. अंतुले को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर सकता है। यह मामला 1984 का महाराष्ट्र राज्य बनाम आर.एस. नायक का है। इसका विरोधाभास देखें 1988 में जब केन्द्रीय मंत्री अर्जुन सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में जब कैलाश जोशी ने राष्ट्रपति को अर्जुन सिंह को मंत्रिमंडल से भ्रष्टाचार के आरोप पर बर्खास्त करने के अनुरोध पत्र के जबाब में कहा कि वे मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुरोध पर ही वो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं अपनी ओर से वे कार्यवाही नहीं कर सकते। एक ओर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि गवर्नर राज्य का नैतिकता के अधिकार की हैसियत से मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति का यह कहना कि वे वैसा नहीं कर सकते गलत लगता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह अधिकार गवर्नर का माना है कि नैतिक अधिकार का प्रयोग कर भ्रष्टाचार जैसे घृणित मामले में वे मंत्रीमंडल के सहमति के बीना भी भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त कर सकते है।

यह विचित्र लग सकता है कि 1977 में केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स के खिलाफ कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट 1952 के तहत जांच आयोग बैठा दिया जिसको राज्य सरकार ने न्यायालय में यह कहते चुनौती दिया कि वह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है और यह संघीय भावना का उल्लंघन है। यह राज्य के कार्यपालक और व्यवस्थापक शक्तियों का नजर अंदाज करना है लेकिन संविधान की संरक्षक संस्था सर्वोच्च न्यायालय 6/1 के बहुमत से फैसला केन्द्र सरकार के पक्ष में दिया अर्थात् केन्द्र की शक्ति में इजाफा हुआ और एक बात का पता लगा कि कुछ क्षेत्र धुंधला है जिससे सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर तथा केन्द्र सरकार को अपनी शक्तियों में इजाफा करने का अवसर दे रही है और केन्द्र सरकार अपनी शक्तियों को बढ़ाती जा रही है। केन्द्र सरकार तथा कथित कमिटेड लोगों को गवर्नर या राष्ट्रपति बनना चाहती है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने भी केन्द्रीय सरकार को अपने फैसले से मजबूत बनाया है।

भारतीय संघीय प्रणाली का विकास जब जैसा तब वैसा के सिद्धांत के आधार पर हो रहा है कहीं यह लचीला तो कहीं यह अत्यंत कठोर बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का एस आर बोम्मई के मामले में यह मानना है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद आदि संविधान के बेसिक तत्व है उसमें संशोधन अनुच्छेद 368 के अन्दर नहीं हो सकते लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने खुद जब अनुच्छेद 2 के अन्दर केन्द्र सरकार ने सिक्किम राज्य के प्रवेश की मंजूरी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लघंन करते हुए धार्मिक आधार पर विधानसभा में सीटों के आरक्षण को स्वीकार किया और उसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में आर.सी. पाव दयाल बनाम केन्द्र सरकार के मामले में सिक्किम के विधानसभा में धार्मिक आधार पर आरक्षण को मंजूर किया जबकि मुख्य न्यायाधीश श्री एल.एम. शर्मा तथा जस्टिस अग्रवाल ने अल्पमत विचार में इसका विरोध किया। लगता है संविधान पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखने वाले के.सी. वियरे ने ठीक ही कहा था कि भारतीय संघवाद यूनिट्री तथा लचीला है इसी तरह बी.आर. अंबेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संघवाद लचीला है।

भारतीय संघीय प्रणाली का स्वरूप कांग्रेस के 40 वर्षो के शासन के एक दलीय शासन में कुछ और रहा है जब केन्द्र और राज्य एक जगह और एक नेता से शासित रहा ऐसा नजर नहीं आया कि राज्यों का भी कोई अस्तित्व है जिसने कोई कभी गुस्ताखी किया चाहे पंजाब हो या केरल धारा 356 का मनमानी प्रयोग हुए, सर्वोच्च न्यायालय बहुत बाद में जागी। ज्योंहि संविद सरकारें आई क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ाने लगा तथा लगा कि राज्य की सरकारों के दुग्ध का दांत टूट गया है और वे दांत दिखलाने लगे हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भी गतिविधियों में वृद्धि हुई और उनके संविधान संरक्षक की भूमिका को संघवादियों ने बढ़ाया। जब कांग्रेस को राज्य के नियंत्रण न्यायालय की भूमिका बाधक नजर आने लगी तो धारा 356 को न्यायालय की परिधि से बाहर कर दिया गया और न्यायपालिका को कमिटेड ज्यूडिशियरी बनाने की भी कोशिश हुआ। इसके नियुक्ति और पदस्थापना में दखल अंदाजी शुरू हुई तो न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया को कालेजियम व्यवस्था के अंदर अपने क्षेत्राधिकार ले लिया है। इसी तरह नये आर्थिक नीतियों के तहत विदेशी पूंजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गया है ऐसी स्थिति में केन्द्र और राज्य दोनों की भूमिका काफी बढ़ी है लेकिन इसके क्षेत्र में पुराने कानून भी बाधक जान पड़ते थे इसे बदलने में न्यायालय तथा राज्यों का सहयोग आवश्यक था, केन्द्र सरकार को और शक्ति चाहिए तथा राज्य को भी विदेशी निवेश का हिस्सा चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का सामना कोई सरकार नहीं कर पा रही है इसलिए नये संसाधन, नये क्षेत्रों की खोज हो रही है, देश के रक्षा क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए उसे अपने साजो सामान से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। इसी तरह भारत का विदेश विभाग को गति शील बनाकर उसे विदेशों से न केवल अच्छे संबंध बनाने है बल्कि विदेशी पूंजी भारत आये इसमें भी सहयोग करना है ऐसी परिस्थिति में कोआपरेटिव फेडरलिज्म का नारा देकर मोदी जी और भाजपा शासन में आई है हम वर्तमान में भारतीय कोआपरेटिव फेडरलिज्म को देखते हैं।

कालेजियम तथा नेशनल जूडिशल नियुक्ति कमीशन

मोदी सरकार न्यायपालिकाओं में अर्थात उपरी न्यायालय में जजों की नियुक्ति कालेजियम के हाथों से लेकर नेशनल जूडिशल कमीशन के द्वारा बहुत कारणों से चाहते हैं लेकिन न्यायपालिका इसके लिए तैयार नहीं है इसलिए भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इंदिरा गांधी के काल के समान न्यायपालिका के साथ संबंध तनावपूर्ण है, यह न्यायपालिका बनाम सरकार का हो गया है, इसे फेडरल क्षेत्र में हम तनाव की स्थिति देख रहे हैं। गवर्नर का पद गवर्नर के पद पर नियुक्ति, उसके अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायत विरोधी दल के लोग हमेशा से करते रहे हैं और आज भी स्थिति वही है इसकी भूमिका को फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर बनाने वाली मानी जाती है. राज्यों के कार्यक्षेत्र में केन्द्र के इशारे पर दखल अंदाजी की शिकायत की जाती है। हालांकि धारा 356 का दुरूपयोग की शिकायत नहीं है लेकिन आज भी विरोधी दल की सरकार और गवर्नर के बीच तनावपूर्ण संबंध और अपशब्दों के प्रयोग तक सुनाई पड़ते हैं। विधायी कार्यो में रुकावट बिलों को केन्द्र से अनुमति के लिए रोकने का कार्य आज सीमित रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कभी–कभी जन दबाव में सरकार अनचाहे वील को पारित पारित कर राज्यपाल के कोर्ट में जानबूझकर डाला जाता है। वर्तमान सरकार भी कांग्रेस के समान गवर्नर को हटाने के कार्य किये हैं। सिर्फ उत्तराखंड के गवर्नर को न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रोका गया लेकिन सरकार ने उनका ट्रांसफर मिजोरम

कर दिया इस प्रकार गवर्नर हटाये गये हैं। आज भी गवर्नर के बारे में कोई ऐसी योजना नहीं है कि उसके पद पर कैसे नियुक्ति हो और स्वतंत्र रूप में कार्य कर सकें।

शहरी विकास का मामला यह क्षेत्र समवर्ती सूची के अंदर होने के कारण मोदी सरकार को शहरी विकास के लिए कार्य करते हुए देखा जा रहा है। भारत वर्ष की शहरी आबादी 32 प्रतिशत के लगभग है यहां भी झुग्गी झोपडी, स्वास्थ्य, पानी, बेरोजगारी, गरीबों के निवास की समस्या है। मोदी सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर प्रभावशाली तरीके से काम प्रारंभ किया है। 2014 में ही शहरों के संबंध में राज्य केन्द्र की सम्मिलित बैठक में 26 सूत्री योजना पर काम करने का फैसला लिया लेकिन यहां प्रशासनिक कमजोरी है, लूट खसोट बहुत है, सबसे बड़ी समस्या उत्तरदायित्व हिनता की है जो गड़बड़ी का मुख्य कारण है। सरकार ने विदेशी तर्ज पर देश में एक सौ स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में जहां औद्योगिक नगर ज्यादा है जहां इसका लाभ ज्यादा पहुंच रहा है। प्रारंभ में केन्द्र ने इसके लिए 6274 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। वैसे प्रोजेक्ट जो अर्धनिर्मित थे उन्हें पूरा करने को पैसा दिया है आज बड़े रुप में अनुदान प्राप्त हो रहे हैं।

मेक इन इंडिया

भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और गति शील बनाने की चुनौती स्वीकार कर मोदी इस दिशा में बड़े जोर–शोर से काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देश का विकास देशी और विदेशी पूंजी से करना है क्योंकि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र मृत प्राय है। यहा पूंजी लग नहीं रही है आर्थिक सुधार के अंतर्गत इज आफ डूइंग बिजनेस की आवश्यकता है। यहां अति कठोर कानून, कठोर लेबर कानून प्रशासनिक अंडगेबाजी, लालफीताशाही बहुत बड़ी समस्या है, जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण कानून पूंजी निवेश को रोक रखा है। मोदी जी ने देश–विदेश में कॉरपोरेट जगत के साथ बैठक कर उनकी समस्या को जान कर उसे दूर करने के वचन दिये हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए कोआपरेटिव फेडरलिज्म की बहुत आवश्यकता है, कानूनों में परिवर्तन अति आवश्यक है और राज्य इस मामले सहयोग कर रहे फैक्ट्री कानून, लेवर लॉ, भूमि अधिग्रहण कानून, पुनर्वास के नियम, पर्यावरण, मुआवजा के मामले आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। हालांकि इस प्रकार के परिवर्तन के आलोचना भी हो रहे हैं लेकिन यह स्पष्ट है कि पूंजी निवेश बड़ी मात्रा में भारत में हो रहे है और देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है और गैर–सरकारी क्षेत्र आज नौकरी के लिए बड़ा क्षेत्र बन गया है।

पर्यावरण के क्षेत्र में कोआपरेटिव फेडरलिज्म

पर्यावरण कानून से एवं दर्खास्त निपटाने में देरी की शिकायत विधायक, सांसदों से लेकर उद्योग स्थापना करने वालों की लंबी शिकायत है। सुब्रमण्यम कमीसन ने एक लम्बा चौड़ा 55 सुझाव दिए है जिसमें केन्द्र और राज्य स्तर पर दो फुल टाइम पदाधिकारी नियुक्त कर मामलों के जल्द निष्पादन के कार्य दिये हैं, ग्रीन एक्ट से बहुत परेशानी बढ़ी है। विकास के साथ पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।

माइनस और मिनरल्स

माइनस और मिनरल्स पर अधिकार का मामला केंद्र और राज्य के बीच उलझन वाला मामला माना जाता है। कुछ समय पूर्व तक इस मामले में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कोई भी स्वामित्व प्रदान करने में राज्य के विचार महत्त्वपूर्ण था सभी फाइलें राज्यों से प्रारंभ होता था, लेकिन इसमें परिवर्तन करके राज्य की भूमिका को जैसा की न्यायालय आबजरवेसन है कि इसे सिर्फ मैकेनिकल कर दिया गया है, जो नगन्य है और कोल ब्लॉक के आवंटन में जबरदस्त धांधली दर्ज किया गया जिसे, सी.ए. जी ने तथा न्यायालय ने संज्ञान लिया। यह कोआपरेटिव फेडरलिज्म का काला अध्याय है। मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार से निपटने की जबरदस्त जवाब देही है।

विभिन्न सांस्कृतिक का सहयोगात्मक संघ

भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून, धारा 370 की समाप्ति की घोषणा के नारे और मेनिफेस्टो में इसका समावेश कर शासन में आयी थी। इससे सेक्युलर नारे देने वालों के लिए समस्या थी, भाजपा ने धारा 370 वैधानिक

रूप में समाप्त कर दिया तथा समान कानून के बादे को पूरा करने को आगे बढ़ रही है। साम्प्रदायिक दंगे तथा धार्मिक आधार पर देश बंट जायेगी ऐसा कुछ नहीं है। सभी विकास चाहते हैं और ऐसा हो रहा है। देश विभिन्न तरह के फैमिली कानून से नहीं चल सकता।

वित्तीय सहयोगात्मक संघवाद

आज देश के सभी क्षेत्रों के विकास एक जैसा नहीं हुआ है. बहुत सारे क्षेत्र पिछड़े है। सहयोगात्मक संघवाद के लिए आवश्यक है कि उन्हें विकास के दौड़ में एक साथ चलायें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उन्हें बीमार राज्य तथा सस्ते मजदूर का सप्लायर राज्य बनाकर छोड़ दिया गया है, यह सहयोगात्मक फेडरलिज्म की भावना का उल्लघंन है। मोदी जी ने बहुत से बीमार संस्थाओं को बंद कर दिया जैसे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। टैक्सेशन रिफार्म सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें जी.एस.टी. कानून को लागू होने से वित्तीय क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है और सरकारों को अच्छे आमदनी के श्रोत बढ़े हैं, लेकिन विदेशी पूंजी निवेश पिछड़े राज्यों में नहीं हो रहा है इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में गैप बढ़ रहे हैं। राज्यों का वित्तीय क्षेत्र में केन्द्र की निर्भरता बहुत अधिक बढ़ी है कुछ राज्य तो पूर्णतः केन्द्र सरकार पर निर्भर है।

विदेश नीति और सहयोगी संघवाद

अब तक भारत में विदेश नीति के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका नगण्य थी लेकिन हमारे पड़ोस से लगने वाले राज्यों को पड़ोसी राज्य के साथ वार्तालाप में अपने सीमा क्षेत्र के राज्यों से विचार विमर्श करना चाहिए एवं विदेशी पूंजी निवेश ने राज्यों का महत्व विदेश नीति निर्धारण में बढ़ा दिया। कई राज्य के मुख्यमंत्री जैसे बंगाल के बंगलादेश के, पंजाब के पाकिस्तान के साथ, तमिलनाडु के श्रीलंका के साथ, संघ निर्धारण में केन्द्र सरकार को उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरे संघात्मक देशों में राज्यों के मुख्यमंत्री की भूमिका नजर आती है। भारत में संघीय प्रणाली सुचारू रूप से चले इसलिए विवाद के विषय का निपटारा कर लिया जाए जैसे गवर्नर का पद, धारा 356 राज्यों को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान पिछड़े राज्यों को अधिक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन लगातार होना चाहिए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें, राज्यों के आर्थिक श्रोत बढ़ाने के उपाय किए जाएं, वैसे राज्य अपने आर्थिक श्रोत बढ़ायें जो केन्द्र पर निर्भर है।

निष्कर्ष

भारतीय संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा है, जिसमें भारत का संविधान संघीय (केंद्र और राज्य) और एकात्मक (मजबूत केंद्र) दोनों विशेषताओं का मिश्रण है, इसलिए इसे अर्ध–संघीय कहा जाता है। यह विविधता में एकता बनाए रखने, प्रभावी शासन देने और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीएसटी, कराधान और वित्तीय संसाधनों के बँटवारे को लेकर केंद्र–राज्य विवाद भी इसमें मौजूद हैं। दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें, दोनों के अपने–अपने अधिकार क्षेत्र (जैसे कानून बनाना, कर लगाना) होते हैं। शक्तियों का बँटवारा– संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र (संघ सूची), राज्य (राज्य सूची) और समवर्ती सूची (दोनों) में विषयों का स्पष्ट बँटवारा है। लिखित और सर्वोच्च संविधान– भारत का संविधान लिखित है, और यह देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका– न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र–राज्यों के बीच विवादों को सुलझाती है। द्विसदनीय विधायिका– संसद में लोकसभा और राज्यसभा का होना। भारतीय संघवाद की एकात्मक विशेषताएँ (जो इसे अर्ध–संघीय बनाती हैं) मजबूत केंद्र– आपातकाल जैसी स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति के बिना कानून बनाने की शक्ति। एकल नागरिकता और एकल संविधानरू राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता है।

संदर्भ सूची

1. बसु, डी.डी. (1965) *ऐसेज ऑन इंडियन फेडरलिज्म एलायड,* लेक्सिसनेक्सिस इंडिया, बम्बई।
2. प्रजापति, अभिमन्यु कुमार (2025) *भारतीय संघवाद के बदलते स्वरूप,* इंक विजन पब्लिसिंग, बिलासपुर।
3. मुंशी, के.एम. (1950) डिस्ट्रीब्यूसन ऑफ पार्वस इंडियन लॉ, भारतीय विद्या भवन, मुबंई।
4. सिंह, वीरकेश्वर प्रसाद (2013) *तुलनात्मक शासन एवं राजनीति,* प्रथम संस्करण, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. कोठारी, रजनी (1972) *पॉलिटिक्स इन इंडिया,* ओरियेन्ट लौंगमैन, न्यू दिल्ली।

****